216

-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी निग-3234-I-16

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड. द्वारा आज दि. 21/9/16 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– जानकी प्रसाद तनय परमानंद पटैल

2– सीताराम तनय भावसींग पटैल

3– खान्जू तनय फदालीराम पटैल

निवासीगण – ग्राम तिलीमाफी, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.) ––––आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ––––––अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा' 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण कमांक 602/बी–121 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 5–8–2016 से परिवेदित होकर।

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–9

माननीय,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है।

21/9/16

प्रकरण के तथ्यः–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदकगण द्वारा कलेक्टर महोदय सागर के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 131 के तहत आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि, आवेदकगण की भूमि स्वामी हक की भूमि स्थित ग्राम तिली खसरा नम्बर 217/10, 217/11, 217/9, 217/3 है। उक्त भूमि से आने–जाने के मार्ग के लिये म0प्र0 शासन चरोखर मद की भूमि खसरा नम्बर 218 रकवा 1.259 हैक्टर के अंश भाग 0.045 हैक्टर भूमि अर्थात 4843 वर्गफुट भूमि पर जो कि शासन द्वार आम रास्ता के लिये छोडी गयी है, को अभिलेख में आम रास्ता दर्ज किया जावे।

XXXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3234/I/2016 निगरानी जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23--9--2016	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एवं श्री डी.के.पासी द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण कमांक 602/बी–121 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 5–8–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर सागर के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता –1959 की धारा 131 के तहत आवेदन पेश कर अपने स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम तिली खसरा न. 217/10, 217/11, 217/9, 217/3 पर आने जाने के मार्ग के लिये म.प्र. शासन चरोखर मद की भूमि खसरा न. 218 रकवा 1.259 हैक्टर के अंश भाग 0.045 हैक्टर भूमि अर्थात 4843 वर्गफुट भूमि जो कि शासन द्वारा आम रास्ता के लिये छोडी गयी है को अभिलेख में आम रास्ता दर्ज किया जावें। आवेदकगण के आवेदन को कलेक्टर सागर द्वारा जांच कर प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार सागर को प्रेषित किया तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपना सहमति प्रतिवेदन सहपत्रो सहित आदेश किये जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सागर को संप्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 30–6–2016 में सहमति प्रदान न करते हुये प्रकरण अपर कलेक्टर सागर को प्रेषित किया गया, जिस पर से अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 602/बी–121 वर्ष 2015–16 पर दर्ज करते हुये अनुविभागीय अधिकारी महोदय के प्रतिवेदन से सहमत होकर, आवेदकगण का आवेदन–पत्र आदेश दिनांक 5–8–2016 पारित कर खारिज किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर, यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।	

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क में कहा गया है। कि आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा–131 के तहत आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उनकी भूमि स्वामी हक की भूमि स्थित ग्राम तिली खसरा न. 217/10, 217/11, 217/9, 217/3 है। उक्त भूमि से आने जाने के मार्ग के लिये म.प्र. शासन चरोखर मद की भूमि खसरा न. 218 रकवा 1.259 हैक्टर के अंश भाग 0.045 हैक्टर भूमि अर्थात 4843 वर्गफुट भूमि पर जो कि शासन द्वारा आम रास्ता के लिये छोडी गयी है को अभिलेख में आम रास्ता दर्ज किया जावें एंव इन्ही खसरा न. से लगे खसरा न. 219/2 अन्य कृषक बलराम पिता मोहनलाल चौरसिया की भूमि है जो कि अपने हक की भूमि में से 30 फुट चौड़ी भूमि आम रास्ता के लिये देने हेतु अपनी सहमति दी है। चूंकि उक्त आम रास्ता का उपयोग निरंतर कई वर्षो से ग्राम के कृषक करते चले आ रहे है जिसके निर्माण से समस्त प्रभावित कृषक अपनी अपनी भूमि से सागर जैसीनगर रोड से लग जावेगें, जिसका लाभ समस्त ग्रामवासियों को होगा। उन्होनें यह तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार ने आवेदकगण का प्रकरण दर्ज किया पटवारी/निरीक्षक ने मौका स्थल की जॉचकर पंचनामा तैयार कर प्रस्तावित नक्शा सहित अपना प्रतिवेदन दिनांक 6–6–2016 तैयार कर तहसीहलदार के समक्ष पेश किया था जिसमें उक्त खसरा न. 218 रकवा 1.259 हैक्टर भूमि की संपूर्ण जानकारी लेख की थी केवल 0.045 हैक्टर भूमि शेष बचती है जिसे अभिलेख में आम रास्ता दर्ज किये जाने हेतु नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया था। जिस पर तहसीहलदार महोदय को अपना आदेश पारित करना था, किन्तु आदेश पारित न कर दिनांक 25–6–2016 को प्रतिवेदन तैयार कर यह लेख किया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी–1, प्रस्तावित नक्शा प्रदर्श पी–2 के अनुसार रास्ता अभिलेख में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं म.प्र. भू–राजस्व सहिता 1959 की धारा 131 के तहत रास्ता के संबंध में निराकरण किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त

है, किन्तु उक्त रास्ता दर्ज किये जाने में शासकीय भूमि प्रभावित होने पर प्रकरण सहपत्रो सहित रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश हेतु अनुविभागीय अधिकारी को सम्प्रेषित किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 30–6–2016 तैयार कर अपनी सहमति प्रदान न करते हुये प्रकरण अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिस पर से अपर कलेक्टर ने आवेदकगण को सुने विना ही आदेश पारित किया है उक्त आदेश निरस्त किया जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार प्रस्तावित नक्शा अनुसार आम रास्ता अभिलेख में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया है।

4/ उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त खसरा न. 218 के कुल रकवा 1.259 हैक्टर भूमि के अंश भाग 0.045 हैक्टर को छोडकर ही शासन द्वारा अन्य विभागों को भूमि आवंटित की गयी है क्योंकि उक्त छोडी गयी भूमि का उपयोग आम रास्ता के लिये ही ग्रामवासीयो द्वारा किया जा रहा है। जिस पर तहसीलदार ने भी अपने प्रतिवेदन पर आम रास्ता दर्ज किये जाने की सहमति दी है।

5/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को उचित वताते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया, एंव प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि, भूमि खसरा न. 218 रकवा 1.259 हैक्टर कमांक/692/97 सागर/नजूल/भोपाल एंव कलेक्टर द्वारा 3.00 एकड़ भूमि अन्य विभागों को आबंटित की है शेष 0.045 हैक्टर भूमि अर्थात 4845 वर्गफुट भूमि शेष बचती है जिसका आवेदकगण एंव कृषको द्वारा आम रास्ता के रूप में उपयोग किया जाता है जिसके संबंध में आवेदकगण ने इस न्यायालय में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। जैसा कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 6–6–2016 पंचनामा एंव प्रस्तावित नक्शा

के अवलोकन से प्रतीत होता है। अपर कलेक्टर ने आवेदकगणको पक्ष समर्थन का अवसर दिये बिना ही अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 30–6–2016 को सही मानकर अवैधानिक आदेश दिनांक 5–8–2016 पारित किया है जिसे मैं स्थिर रखा जाना सही नहीं पाता हूँ।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–8–2016 निरस्त करते हुये तहसीलदार सागर को निर्देश दिये जाते है कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 6–6–2016 एवं प्रस्तावित नक्श अनुसार खसरा न. 218 के अंश भाग 0.045 हैक्टर भूमि को आम रास्ता अभिलेख में दर्ज करें। कृषक आम रास्ते की मरम्मत एवं उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगें।

सदस्य